

प्रेषक

निदेशक  
प्रशासन एवं विकास,  
पशुपालन विभाग,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या: 085 / प0-2/कृ0ग0/विविध/2016-17

दिनांक: 14-7-16

विषय: कृत्रिम गर्भाधान की लेवी का रू0 1.70 करोड़ राजकोषीय खाते में कम जमा होने  
विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि कृ0ग0 विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है एवं इसकी समीक्षा शासन एवं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाती है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के अर्द्धशासकीय पत्रांक-629/प0-2/20(1)भाग-3 दिनांक 22/8/2016 द्वारा निर्धारित तिथि पर निदेशालय में उपस्थित होकर लेवी एवं प्रजातिवार सीमेन का मिलान कराने हेतु निर्देशित किया गया था एवं अर्द्धशासकीय पत्रांक-629/प0-2/20(1)भाग-3 दिनांक 21/10/2016 में बिन्दुओं के अनुसार आपसे कार्यवाही की अपेक्षा की गई थी किन्तु 01 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक आपके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है, जो राजकीय कार्यों के प्रति आपकी उदासीनता का घोटक है। पुनः अन्तिम बार आपको कठोरतापूर्वक निर्देशित किया जाता है कि आप निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का निदेशालय स्तर पर माह मार्च 2016 की कमिक कृ0ग0 की प्रगति के आधार पर निदेशालय स्तर पर परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ प्रकाश में आयी।

- 1- गलत लेखाशीर्षक में कृ0ग0 की लेवी जमा की गयी यथा चिकित्सा एवं अनेकों नए प्रकार के नए लेखाशीर्षकों में कृ0ग0 की लेवी जमा की गयी।
- 2- जनपदों द्वारा माह मार्च 2016 में दर्शायी गयी कृ0ग0 की कमिक प्रगति के अनुरूप लेवी की धनराशि नहीं जमा की गयी।
- 3- प्रजाति विशेष का सीमेन उपलब्ध न होते हुए भी उस प्रजाति का कृ0ग0 कार्य दर्शाया गया या प्रजाति विशेष का सीमेन उपलब्ध होने पर भी प्रजाति का कोई कृ0ग0 कार्य नहीं किया गया।
- 4- अनेकों जनपदों द्वारा निदेशक(प्रशासन एवं विकास) की आज्ञा की अवहेलना करते हुए अभी तक निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।

अतैव आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर निम्नानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

- 1- जिन जनपदों के पशुचिकित्सालयों द्वारा गलत लेखाशीर्षकों में कृ0ग0 की लेवी जमा की गयी-  
आप सभी के संज्ञान में होगा कि जिन जनपदों से सूचना प्राप्त हो चुकी है उन जनपदों के प्रतिनिधियों (सूचना वाहकों) को गलत लेखा-शीर्षक में कृ0ग0 की लेवी जमा करने वाले पशुचिकित्सालयों के नामों की सूची उपलब्ध करा दी गयी थी एवं निदेशालय स्तर पर भी इसको सूचीबद्ध किया जा चुका है।  
आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ऐसे सभी पशुचिकित्साधिकारियों का स्पष्टीकरण जिन्होंने गलत लेखा-शीर्षक में कृ0ग0 की धनराशि जमा की है एवं अब तक अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया

है उन पशुचिकित्साधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसे एक साथ एकत्र कर दिनांक 31/12/16 से पूर्व सहायक लेखाकार के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न दर्शायी जाये एवं समस्त स्पष्टीकरण तर्कसंगत एवं अर्थपूर्ण होने अनिवार्य है किसी भी प्रकार का औचित्यहीन स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

2- जिन जनपदों द्वारा माह मार्च 2016 में दर्शायी गयी कृ०ग० की कमिक प्रगति के अनुरूप लेवी की धनराशि नहीं जमा की गयी-

जनपद बागपत(100), गौतमबुद्धनगर(256), मुजफ्फरनगर(1552), शाहजहाँपुर(6324), कुशीनगर(2391), हमीरपुर(851), महोबा(700), सीतापुर(3000), मऊ(2137), फर्रुखाबाद(623), कन्नौज(39), फिरोजाबाद(96), शामली(2036), बर्दौयू(209), देवरिया(316), झांसी(7283), मैनपुरी(48), आगरा(796) ने जनपदों के सम्मुख कोषक में लिखे हुए कृ०ग० की लेवी नहीं जमा की है। अतैव आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उन पशुचिकित्साधिकारियों को चिन्हित करें जिन्होंने माह मार्च 2016 में दर्शाये गये कृ०ग० कार्य के सापेक्ष पूरी लेवी जमा नहीं की है एवं उनकी जाँच कर स्पष्ट आख्या दे तथा दिनांक 31/12/16 से पूर्व अवगत कराये कि क्यो न लेवी जमा होने की स्थिति में सम्बन्धित पर वसूली/गबन की कार्यवाही की संस्तुति कर संबंधित पशुचिकित्साधिकारियों के वेतन से इसकी वसूली कर ली जाय।

3- प्रजाति विशेष का सीमेन उपलब्ध न होते हुए भी उस प्रजाति का कृ०ग० कार्य दर्शाया गया या प्रजाति विशेष का सीमेन उपलब्ध होने पर भी प्रजाति का कोई कृ०ग० कार्य नहीं किया गया-

अर्धशासकीय पत्र दिनांक 21/10/16 में वर्णित जनपदों में से किसी भी जनपद ने अब तक सीमेन वितरण की सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध नहीं करायी है जो कि अधोहरस्ताक्षरी के आदेशों की अवहेलना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सीमेन वितरण की सुसंगत सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 31/12/16 से पूर्व पुनः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4- अनेकों जनपदों द्वारा निदेशालय स्तर पर हुए परीक्षण के सम्बन्ध में निदेशक(प्रशासन एवं विकास) के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अभी तक निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी है-

जनपद बुलन्दशहर, बस्ती, रामपुर, सम्मल, पीलीभीत, फैजाबाद, अमेठी, गोण्डा, बांदा, उन्नाव, सुल्तानपुर, कानपुरनगर, कानपुर देहात, औरैया ने अभी तक अर्धशासकीय पत्रांक-629/प०-2/20(1)भाग-3 दिनांक 22/8/2016 द्वारा चाही गयी सूचना नहीं उपलब्ध करायी है एवं जनपद आगरा, मथुरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, मऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हमीरपुर, शामली, बर्दौयू, फतेहपुर, ललितपुर, गाजीपुर, इटावा व झांसी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने के पश्चात कोई पत्राचार नहीं किया गया है। अतैव आदेशों की अवहेलना के कम में आपको कठोरतापूर्वक निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 31/12/16 से पूर्व वांछित सूचना सहायक लेखाकार/पटल सहायक(जिसे सूचना के विषय में पूर्ण जानकारी हो) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आदेशों की अवहेलना के कम में आपको मध्यावधि प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टि प्रदान कर दी जायेगी।

भवदीय



(डा० राजेश बाबू वार्ष्नेय)  
निदेशक  
प्रशासन एवं विकास